न्यायालय श्री दिनेश कुमार, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0:—329 / 2022

खुदवाँ थाना कांड संख्या :—17 / 2022

07.04.2022 आवेदकगण / अभियुक्तगण बिनोद मिस्त्री, अजीत कुमार एवं बेलवन्ती देवी की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि अभियुक्तगण निर्दोष है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गयाहै । आवेदकगण को जमीनी विवाद को लेकर उक्त मुकदमा में झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया है । आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 379 भा0द0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा आवेदकगण के विरूद्ध अपोषणीय है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध धारा 147, 149, 341, 323, 379, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उपरोक्त धाराओं में धारा 379 भा0द0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा जहाँ तक चोरी का आरोप है तो आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही है, जिसके फलस्वरूप उक्त धारा इस चरण में अलंकृत प्रतीत होता है । चोरी गई सामग्री की बरामदगी से सम्बन्धित जप्ती सूची अभिलेख पर नही है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण / अभियुक्तगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदकगण / अभियुक्तगण को मो0—5000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।